न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2021

बउनवान

1. जगदीशचन्द्र उम्र 65 वर्ष
2. सत्यनारायण उम्र 62 वर्ष
3. महावीर उम्र 57 वर्ष
4. लक्ष्मीनारायण उम्र 52 वर्ष
5. चन्द्रकांतिबाई उम्र 70 वर्ष
6. शांतिबाई उम्र 44 वर्ष पिसरान बजरंगदास जातिगण बैरागी निवासीगण रामपुरा भगतान तह0 मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. अशोक कुमार
2. बृजसुन्दर
3. मोहनलाल पिसरान लड्डूलाल
4. मोडूदास पुत्र बजरंगदास जातिगण बैरागी निवासीगण रामपुरा भगतान, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 33 दिनांक 13.02.1992 ग्राम रामपुरा भगतान अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक 20.07.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है, जो ग्राम रामपुरा भगतान में स्थित मंदिर सीताराम जी के पुजारी है व पूजा अर्चना के बदले मंदिर की आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मंदिर सीताराम जी के नाम दर्ज हो रही है जिसमें अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स का नाम नहीं है [illegible] अलावा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के खाते में आराजी जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] खाता संख्या 30 में खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 व खाता संख्या 3[illegible] 0.02 है0, खसरा नं. 16 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 0.08 है0 [illegible] रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल दर्ज है। खाता संख्या 30 आराजी खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 [illegible] बजरंगदास पुत्र कानादास के नाम दर्ज है, अपीलान्टस बजरंगदास के वारिसान है। खाता संख्या 31 में बजरंगदास पुत्र जगन्नाथ बैरागी के नाम खसरा नं. 332/626 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 16/630 रकबा 0.06 है0 आराजी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट्स बजरंगदास के पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:44 IST
Reason: SelfAttested

इंतकाल नं. 33 से अपीलान्ट के पिता बजरंगदास पुत्र कानादास के नाम दर्ज आराजी भी अपने खाते दर्ज कराकर खातेदार बन गये, जबकि खसरा नं. 17 करबा 0.02 है0 पुश्तैनी आराजी है जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त है। खाता सं. 30 में खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम रामपुरा–भगतान आराजी खातेदार बजरंगदास पुत्र कानादास बैरागी के नाम दर्ज हो रही है, हाल खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 के साबिक खसरा नं. 13 रकबा 2 बिस्वा दर्ज था, जो जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 में दर्ज है। खाता सं. 31 में आराजी खसरा नं. 332/626 रकबा 0.2 है0, खसरा नं. 16/630 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान खातेदार बजरंगदास पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज है, तथा इंतकाल नं. 33 से बजरंगदास के स्थान पर लड्डूलाल, मोडूदास के नाम दर्ज है, लड्डूलाल की मृत्यु के पश्चात यह आराजी हाल खाता संख्या 157 में लड्डूलाल के पुत्र रेस्पो0 कम 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई तथा रेस्पो0 कम 4 ने आराजी का रजिस्टर्ड बेचान रामनिवास पुत्र मथूरालाल गुर्जर को कर दिया है। इंतकाल नं. 33 दि0 13.02.1992 में मृतक बजरंगदास पुत्र जगन्नाथ का ही पारिवारिक सजरा बनाया गया है, अपीलान्ट के पिता मृतक बजरंगदास पुत्र कानादास का कोई पारिवारिक सजरा नही बनाया गया है, और रेस्पो0 कम 1 ता 3 ने चालाकी से खाता सं. 30 में दर्ज आराजी खसरा नं. 17 करबा 0.02 है0 भी रेस्पोडेन्ट्स के पिता लड्डूलाल के नाम दर्ज करा ली और लड्डूलाल की मृत्यु उपरान्त यह आराजी रेस्पोडेन्ट्स कम 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई, जबकि खाता संख्या 30 व 31 प्रारम्भ से ही पृथक–पृथक है. एवं इसके खातेदार भी पृथक–पृथक है। इंतकाल नं. 33 में मंदिर सीताराम जी के पुजारी के नामो में अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हो रहे है, और उक्त इंतकाल नं. 33 खारिज होने योग्य है क्योंकि इन्तकाल नं. 33 से अपीलान्ट्य के खाते की आराजी भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज कर दी जबकि कब्जा काश्त अपीलान्ट्स का आज भी चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 33 दिनांक 13.02.1992 ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां को निरस्त फरमाया जाकर खाता सं. 30 में दर्ज आराजी खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 जो वर्तमान खाता सं. 157 ग्राम रामपुरा भगतान में दर्ज है को पुनः अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स कम 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने एक पक्षीय [illegible] अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामपुरा भगता[illegible]न्ट्स के खाते की आराजी को इंतकाल नं. 33 दि0 13.02.1992 [illegible] वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी है, अपीलान्ट [illegible] पुत्र कानादास का कोई पारिवारिक सजरा नही बनाया गया है, और रेस्पोडे[illegible] कम 1 ता 3 ने चालाकी से खाता सं. 30 में दर्ज आराजी खसरा नं. 17 करबा 0.02 है0 जो कि अपीलांट्स के खाते दर्ज रहनी चाहिए थी को भी अपने पिता लड्डूलाल एवं मोडूदास के नाम दर्ज करा ली और लड्डूलाल की मृत्यु उपरान्त यह आराजी रेस्पोडेन्ट्स कम 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:44 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त आराजी पर कब्जा काश्त अपीलान्ट्स का बदस्तूर चला आ रहा है। मोडूदास ने आराजी का रजिस्टर्ड बेचान रामनिवास पुत्र मथूरालाल गुर्जर को कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 33 दिनांक 13.02.1992 ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां को निरस्त फरमाया जाकर खाता सं. 30 में दर्ज आराजी खसरा नं. 17 रकबा 0.02 है0 वर्तमान खाता सं. 157 को पुनः अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित फरमावें।

हमने एक पक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

जमाबंदी सम्वत् 2030से 2033 के अनुसार आराजी खसरा नं 13 रकबा 2 बिस्वा बजरंगदास वल्द कानादास की खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 अनुसार खसरा नं. 13 से हाल खसरा नं. 17 रकबा 2 बिस्वा कायम किए गये। जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 के अनुसार आराजी खाता नं. 30 खसरा नं. 17 रकबा 2 बिस्वा बजरंगदास वल्द कानादास दर्ज था तथा खाता सं. 31 खसरा नं. 332/626 करबा 2 बिस्वा व खसरा नं. 16/630 रकबा 6 बिस्वा बजरंगदास वल्द जगन्नाथ की खातेदारी में दर्ज थी। अतः स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं. 17 रकबा 2 बिस्वा बजरंगदास वल्द कानादास की खातेदारी में दर्ज थी जबकि प्रश्नगत नामा. संख्या 33 में उक्त आराजी बजरंगदास वल्द जगन्नाथ की खातेदारी में दर्ज होना बताकर उसका फौती नामान्तरकरण लड्डूदास, मोडूदास व बेवा रामनाथी के हक में दर्ज कर दिया गया जो बजरंगदास वल्द जगन्नाथ के वारिसान थे। जबकि इसका नामान्तरकरण बजरंगदास वल्द कानादास के वारिसान के हक में दर्ज करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल का नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 13.02.1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा नं 17 रकबा 2 बिस्वा की खातेदारी की जांच कर बजरंगदास वल्द कानादास के वारिसान के हक में नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:44 IST
Reason: SelfAttested